South Asian Journal of Agricultural Sciences

E-ISSN: 2788-9297
P-ISSN: 2788-9289
https://www.agrijournal.org
SAJAS 2022; 2(2): 124-128
Received: 16-09-2022
Accepted: 29-10-2022

मनोज कुमार
शोधार्थी (वाणिज्य), ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

डॉ. देवेन्द्र चौधरी
सह–प्रध्यापक, बी. आर. बी. कॉलेज, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Correspondence Author:
मनोज कुमार
शोधार्थी (वाणिज्य), ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

कृषि विपणन व्यवस्था में दोष : बिहार राज्य के सन्दर्भ में

मनोज कुमार, डॉ. देवेन्द्र चौधरी

Abstract
स्वतंत्रता के पश्चात कृषि विपणन प्रणाली को उत्तम एवं व्यवस्थित करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। इस क्रम में कृषि विनियम बाजार की स्थापना कृषि गोदामों का निर्माण, उपज क्षेणी निर्धारण, बाट और माप मानकीकरण, कीमतों हेतु दैनिक प्रसारण एवं परिवहन व्यवस्था हेतु प्रयास किये परन्तु आज भी बहुतेरे राज्य विशेष रूप से बिहार कृषि विपणन की समस्या से ग्रस्त है।

Keywords: आपूर्ति, मांग, मौसम, खाद्यान, विपणन

Introduction
गरीबी और त्रृण से ग्रस्त होने के कारण राज्य के छोटे किसान अपनी कृषि उपज को कम मूल्यों पर मध्यस्थों या दलालों के हाथ बेचने हेतु वाध्य हैं। हलाँकी किसानों के विकास हेतु कृषक नीति पर बल दिया है, परन्तु आज तक इसका प्रभावशाली परिणाम नहीं आ सका है और राज्य के किसान कई समस्याओं से आज तक जुझ रहें हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण, निवेश और कल्याणकारी उपायों की उपेक्षा और उगाही जैसे प्रयासों ने राज्य में कृषि विपरण व्यवस्था को अस्त व्यवस्त कर दिया। राज्य कृषि आजीविका मुहैया कराने और खाध्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कृषि गरीबी कम करने और विकास को सतत बनाये रखने के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परन्तु राज्य में कृषि विकास एवं कृषि विपणन की गति अत्यंत दैनिय है। खराब फसल उत्पादन और अनयिमित मानसून के कारण राज्य के कृषक साहूकारों से ऋण लेने हेतु विवश हो जाते है और उस बोझ से दबते चले जाते हैं। कीमत तय रकने से पहले सीएसीपी जो वातों का ध्यान रखती है, उन्हे 2009 में संशोधित किया गया था। इसके अंतर्गत मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, बाजार की कीमतो, फसलो के बीच कीमत की समानता, व्यापार की शर्ते तथा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल किया जाता है। कीमत तय करने से पूर्व सीएसपी केन्द्रीय मंत्रालय, सरकारी संस्थानो, सभी राज्य सरकार राज्यों का कृषक एवं विक्रेताओं के साथ बैठक करती है।

बिहार में कृषि विपणन की स्थिति
बिहार राज्य में कृषि विपणन निम्न उत्पादकता, सही कीमत न मिलने, एमएसपी पर सरकारी खरीद नहीं होने, बढ़ती उत्पादन लागत, आधारभूत संरचना का अभाव, पूंजी का अभाव तथा कृषि मजदूरों की समस्या का सामना कर रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जिसके द्वारा करीब 70% लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, कृषि से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 40% भाग प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष नदियों के मार्ग परिवर्तन, बाहुबलियों और नक्सलियों का आतंक, पशुओं की दयनीय व्यवस्था और स्थिति, किसानों की रूढ़िवादिता तथा अन्य सामाजिक समस्याओं राज्य में कृषि विकास एवं विपणन में अवरोध, कृषको के भूमि का असमान वितरण और छोटे कृषकों की अधिकता भी राज्य के कृषि उत्पादन एवं विपणन में बड़ी बाधा है। सरकार हर वर्ष खाद्यानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषण करती है जिससे कृषको को ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और अधिक उत्पादन की स्थिति में भी बिहार के कृषको को उत्पादों का उचित मूल्य दिया जा सके। राज्य सरकार कृषि को विकसित करने हेतु कृषि विपणन पर बल देता रहा है, जिससे राज्य के किसानों का अधिक लाभ हो सके। बिहार के योजना के अनुसार, राज्य के विनिमय बाजारों में कई स्थानों पर भी आधार भूत संरचना की काफी कमी है। जब कृषि उत्पादन विपणन अधिनियमों की शुरूआत की गई तब से बाजार के बुनियादी ढांचे के विकास में काफी सुविधाएं अब पुरानी हो चुकी हैं शीत भंडारण ईकाइयों की राज्य में काफी जरूरत है जहां समय पर खराब होने वाली उत्पादों को बिक्री के लिए लाया जा सके। वर्तमान में ये बाजारों के 11% भाग में ही मौजूद हैं और ग्रडिंग सुविधाएं बाजार के एक–तिहाई हिस्से में ही मौजूद हैं। बुनियादी सुविधायें जैसे सड़कें, चारदीवारी, बिजली, लदान और उतराई सुविधाएं और तौल उपकरण बाजार के मात्र 85% हिस्से में मौजूद हैं।

राज्य के कृषकों ने सम्बंधित निम्नलिखित मुद्दों के समाधान हेतु प्रस्तव रखा है – विपणान प्रणाली में सुधार और पर्यावरण हेतु अनुकूल नीति, विपणन के बुनियादी ढांचा और निवेश की जरूरत को सशक्त बनाना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ बाजार के सूचना प्रणाली में सुधार करना, कृषि विपणन के हेतु मानव संसाधन का विकास तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना।

कृषि वस्तु के कीमत में उतराव चढ़ाव

कृषि विपणन के अंतर्गत, कृषि कार्य से जुड़ी वे सेवायें आती है जो कृषि उपज को कृषक के खेत से उपभोक्ता तक पहुँचाने में महती भूमिका अदा करती है। कृषि विपणन में व्याप्त दोषों के कारण कृषि वस्तु के कीमत में अत्याधिक उतराव चढ़ाव देखा जाता है। बिहार में कई कारक जिम्मेदार है जैसे मौजूदा मौसमी परिवर्त्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्त्तन, बाजार के आपूर्ति और मांग में अंतर, आर्थिक और राजनीतिक घटना चक्र तथा कर नीतियाँ। कीमत में उतार – चढ़ाव मूलतः खाध्य वस्तुओं यथा चावल, दाल, चीनी, खाध्य तेल आदि पर काफी प्रभाव डालता है।

आपूर्ति और मांग

किसी भी कृषि वस्तु या फसल का अधिशेष होने पर कीमत नीचे गिर जाती है। इसके ठीक उलट, जब किसी उत्पादों की कमी होती है, उस स्थित में कीमत में उछाल आ जाता है। यह वास्तव में मौसम पैटर्न, फसल रोग का प्रकोप एवं उपभोक्ता मांग में बदलावके परिणाम स्वरूप हो सकते है।

मौसम की प्रकृति

मौसम के बदलते मिजाज, बाढ़, सुखा और तुफान बिहार में फसल के उत्पादन तथा विपणन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे कृषि उत्पादों के कीमतों पर असर पड़ता है। जैसे – सूखा पड़ने पर फसल के पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जिससे कारण के कीमत में बढ़ोत्तरी हो जाती है।

अन्य स्थितियाँ

प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता, अनुचित व्यापार विवाद और अर्न्तकलह और युद्ध भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे कीमतों में काफी वृद्धि हो जाती है। उदाहरणार्थ, कोई भी राष्ट्र यदि आयत अथवा निर्यात पर प्रतिबंध लगाता तो यह कृषि उत्पादों की आपूर्ति और उपभोक्ता की माँग को प्रभावित कर सकता है। फलतः कृषि उत्पाद के कीमतों में उत्तर – चढ़ाव देखा जाता है।

नीतियाँ

देश के सरकार की टैरिफ, सब्सिडी और विनिमय से संबंधित नीतियाँ कृषिकों के कृषि उत्पाद से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कारती है। जैसे – कुछ फसलों हेतु सब्सिडी आपूर्ति बढ़ा कर कृषि वस्तुओं के कीमतों को कम किया सकती है। इससे ईतर आयात पर शुल्क आपूर्ति के कम करके और कीमत बढ़ाया जा सकता है। बिहार सरकार कृषकों की आर्थिक स्थिति सशक्त करने के दिशा में प्रयत्नशील है। सरकार ने अब कृषि विपणन का विस्तार राज्य के सभी मंडलों एवं जिलों में करने के निर्देश जारी किया है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सम्पूर्ण सेवा आती है जो कृषि उत्पाद को किसानों के खेत से उपभोक्ता तक पहुँचाने हेतु करना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेद्र दामोदरदास मोदी के द्वारा 2021 को देश के जी डी पी. प्रतिशत (20 लाख करोड़ रू0) के विशेष आर्थिक पैकेज की धोषणा की गई। इसी क्रम में कृषि विपणन सुधारों की दशा में एक कानून लाने की धोषणा की गई है। कृषि विपणन सुधार कि दिशा में कृषकों को लाभदायक मूल्यों पर उपज बेचने हेतु प्रर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे मध्यस्तो तक मात्र लाभ क्रेन्द्रीत नहीं रह सके और कीमतों में त्वरित उछाल या गिरावट न हो सके।

वर्त्तमान में कृषकों को कृषि विपणन में जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, वे मात्र कृषि के एकाधिकारवाद प्रणाली तक मात्र निहित तक नहीं हैं। बिहार में अभी 2022 तक प्रयाप्त मंडिया नहीं है तथा इन मंडियों हेतु आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचा में काफी अल्प निवेश किया गया है। कृषि आज भी बिहार के अर्थ व्यवस्था का आधार है फलतः कृषि क्षेत्र एवं विपणन में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने हेतु कानून में बदलाव की आवश्यकता है जिससे फसल के कीमतों में आनावश्यक उतार चढ़ाव नहीं हो सके।

विपणन मध्यस्थों की अधिकता

बिहार में कृषि विपणन के अंतर्गत किसानों और मध्यस्थों की एक लम्बी कतार देखी जाती है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के महाजन, धूमता – फिरता व्यवसायी, साहूकार अढ़तिया, व्यापारी आदि का एक लम्बी श्रृंखला शामिल होता है। ये सभी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कृषि विपणन क्रिया कलाप में शामिल होते हैं। उपभोक्ता के द्वारा दिया जाने वाले कीमत का एक बड़ा हिस्सा ये मध्यस्थ ले लेते है और कृषकों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बिहार में वस्तु विक्रय हेतु अच्छे बाजार का पूर्ण अभाव है। किसानों को अपने फसल को हटाने के लिए अंतोगत्वा इन्ही मध्यस्थों पर निर्भर होना पड़ता है। बिहार में नियमित मंडियों का पूर्ण अभाव है। अनियमित मंडियों में अनकों प्रकार की अनियमितता दिखाई देती है। उदाहरणार्थ वाट तराजू में खामियाँ का होना, उपज के भाग को नमूने के रूप में निकाल लिया जाना, कीमत का निर्धारण पर दलाल और आढ़तियों का प्रभाव, दलाल का क्रेता के पक्ष में कार्य करना, विवाद के स्थिति में किसी के द्वारा कृषकों का साथ नहीं देना।

खाधानों में विपणन लागत की अधिकता

विपणन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मार्केटिंग मिक्स उत्पाद, मूल्य स्थान, प्रोत्साहन की योजना बनाई जाती है तथा उनका कार्यान्वयन किया जाता है। वास्तव में इस प्रकार की प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठन के मध्य उत्पादों, सेवाओं तथा विचारों के विनिमय के संदर्भ में किया जाता है। सरकार कुछ समय से कृषकों के निशाने पर रहा है। सरकार के विरूद्ध कृषकों में रोष पनप रहा है। इसी सोच के अंतर्गत 'ई पालिसी' लाने पर सरकार विचार कर रही है। कृषि उत्पादों को मुल्य श्रंखला से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार कार्यरत है। जिसका उद्देश्य कुछ वर्षो में 100 अरब डालर का निर्यात प्राप्त करना है। वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को वर्त्तमान 30 अरब डालर से बढ़ाकर 60 अरब डालर करना सरकार का उदेश्य है।

विपणन कुरीतिया

कृषि विपणन व्यवस्था में कृषक और उपभोक्ता के मध्य मध्यस्थ का होना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान बाजार व्यवस्था में मध्यस्थों की बढ़ती संख्या से कृषि उत्पादों को कृषको से उपभोक्ता तक पहुँचने तक कई गुणा कीमत में वृद्धि हो जाती है। कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था के केन्द्र में है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा राज्य में कृषि पर आधारित है। परन्तु मध्यस्थों के क्रियाकलाप के कारण राज्य के छोटे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पुनः त्रृटिपूर्ण संग्रह व्यवस्था के परिणामस्वरूप ग्रामीण कृषकों को अपनी उपज को संग्रह करने हेतु उचित एवं वैज्ञानिक संग्रहण व्यवस्था का कमी है। राज्य में अनियमित मण्डियों की संख्या काफी अधिक है, जहाँ सही माप तथा बाट का अभाव हमेशा बना रहता है।

नियंत्रण मंडियों का अभाव

अपना राज्य बिहार कृषि प्रधान देश है, देश के अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय आय, रोजगार, पूंजी निर्माण जीवन निर्वाह, विदेश व्यापार में कृषि के महती योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बिहार की 70% आबादी आज भी कृषि पर आधारित है, जहाँ करीब 62% श्रमिक को कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। कृषि विपणन कृषि व्यवस्था का आवश्यक अंग है। किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने में कृषि विपणन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परन्तु राज्य में कृषि विपणन की स्थिति आज तक सराहनीय नहीं हो सका है। कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कृषि आज भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति से जुझ रही है।[6] बिहार में वर्तमान में विपणन व्यवस्था में कई प्रकार के कमियाँ देखा जा सकता है, परिणाम स्वरूप कृषकों को उनके फसल का सही मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है, फलतः वे उत्पादन की ओर से हतोत्साहित हो जाते हैं। तंडियों कि संख्या और स्थिति में काफी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित परिवहन व्यवस्था के अभाव के कारण कृषक बड़ी मंडी सहकारी मंडी तक अपना पहुँच नहीं बना पाते हैं। आवागमन सबंध कठिनाई इन्हें अपने फसल को गाँव में बेचने को विवश करती है, फलत बिहार के किसान उचित लाभ से वंचित हो जाते हैं। उदारीकरण और औद्योगीकरण के पश्चात उद्योग के क्षेंत्र में व्यापक परिवर्तन हुये परन्तु कृषि क्षेत्र मे सुधार हेतु सकारात्मक प्रयास नहीं किये गये। आज भी नियंत्रित मंडियों का राज्य में अभाव है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी नियंत्रित मंडियों की कमी से बिहार के किसान त्रस्त्र है। बिहार में कृषि उपज को बाजार समिति के अपेक्षा अधिक विकसित नेटवर्क वालो राज्य के छोटे किसानों हेतु मंडियो तक पहुँच बनाना कठीन है।

विपणन मध्यस्थों की अधिकता

बिहार राज्य में कृषकों को बाजार की जानकारी काफी विलम्ब से मिलती रही है, फलतः वे फलल के पैदावार पर अच्छी कीमत नहीं ले पाते हैं। फिलहाल बिहार के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा अमदनी बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयास तेज कर दी गई है। जनवरी 2022 से राज्य के अन्ठावन कृषि मंडियों में बिक्री हेतु लाये गयें फसलों के भाव को एगमार्क अपडेट किया जाने लगा है। अब किसान नये मूल्य पर अपने नजदीक के कृषि मंडियों में अपने कृषि उत्पाद को बेच रहें हैं। उत्पाद कीमत को गंभीरता से लेते हुयें, पोर्टल से किसानों को जोड़ने का काम शुरू किया गया है और इस संदर्भ में किसानों को पंजीकरण कराना होगा, जिस हेतु आनलाईन आवेदन किया जा रहा है।

कृषि विपणन की चुनौतियाँ

कृषि क्षेत्र से संबंधित बिहार की रणनीति मूल रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चत करने पर आधारित रही है परन्तु कृषकों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया और किसानों की कमजोर स्थिति सदा में राज्य में बनी रही। हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद, देश का खाद्य उल्पादन 4.2 गुणा बढ़ा है जबकि जनसख्या में 3.60 गुणा की वृद्धि हुई है, परन्तु किसानों की आय वृद्धि संबंधी ऑकड़े आज भी निराशाजनक हैं। स्पष्ट है कि सरकार ने वर्ष 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, हलाँकी यह इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है परन्तु लक्ष्य काफी चुनौतिपूर्ण माना जाता है।

सहकारी बाजारों की कमी

बिहार में सहकारी बाजारों का आज भी अभाव है। कृषि उत्पादन को देखते हुए आज भी हमारे यहां पर पूरी संख्या में सहकारी बाजारों का विकास नहीं हुआ है। कई स्थानों पर सहकारी बाजारों का प्रयास विफल रहा है। इन समस्याओं को वर्त्तमान व्यवस्था से दूर करने की बहुत अधिक जरूरत है, जिससे कृषको की आर्थिक स्थित सुदृढ़ हो सके।

सहकारी विपणन के लोकतंत्रीकरण करने एवं उत्पादों के उचित विपणन हेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिससे राज्य में कृषकों के साथ न्याय हो सके। सहकारी विपणन के द्वारा व्यक्तिगत लाभ की संभावनायें तथा जोखिम बहुत हद तक कम हो जाता है। सहकारी विपणन खुली विपणन व्यवस्था का परिणाम है जिससे राज्य में किसानों को अपने उत्पदों के बिक्री पर अधिक मुनाफा मिलता है। सहकारी विपणन किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाता है और वे बेहत्तर भाव हेतु उपभोक्ता से बात कर सकते और अपने उत्पादों के बिक्री से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है।

सहकारी विपणन के निम्न उद्देश्य हैं

- कृषि क्षेत्र के भागीदारों और सहयोगियों के हित में कार्य करना।
- गोदामों एवं भंडारण सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
- कृषि और पशुपालन उत्पादों की खरीद एवं बिक्री एवं भंडारण में सहकारी एजेंट के रूप में क्रियाकलाप करना।
- बीज उर्वरक खाद जैसी विपणन आवश्यकताओं की आपूर्ति एवं खरीद, बिक्री को बढ़ावा देना।
- कृषि विपणन एवं बाजार सूचना प्रसार में सहयोग करना।
- कृषि उत्पादों के विपणन और भंडारण को विकसित करना और बढ़ावा देना।

सहकारी विपणन से बिहार के कृषको को लाभ

यदि कृषक एक साथ जुड़ते हैं और एक सहकारी समिति बनाते हैं, तो वे अपनी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकते है क्योंकि उनकी उपज का विपणन एक ही एजेंसी द्वारा हो जाता है। यह बिचौलियों की मौजूदगी को समाप्त करता है, जिससे किसान के शोषण को समाप्त किया जाता है और साथ ही उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हेतु उचित मूल्य सुनिश्चत किया जाता है। सहकारी समितियां कृषकों को फसल कटने के तुरंत बाद उपज को बेचने की जरूरत से मुक्त करने के लिए ऋण प्रदान करती हैं और यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उच्च रिटर्न मिले और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो। आसान और कम खर्चीला परिवहन से उपज को बाजार तक ले जाने की लागत और असुविधा कम हो जाती है और किसानों को अधिक मुनाफा हो जाता है। सामन्यतः सहकारी विपणन समितियों में भण्डारण की सुविधा होती है। इस प्रकार, किसान बेहतर कीमतों के हेतु प्रतीक्षा कर सकते हैं और उनकी फसलें बारिश और चोरी से सुरक्षित रहता है। कृषकों की तुलना में सहकारी एजेंसी इस कार्य को अधिक आसानी से पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त किया जा सकता है या पुनः अपनी स्वयं की ग्रेडिंग व्यवस्था विकसित कि जा सकती है।

सहकारी विपणन

राज्य के कृषको का सहकारी विपणन से काफी लाभ हो सकते हैं बिहार में सहकारी विपणन के लाभ निम्न हैं।

1. उत्पाद के अंतिम खरीदारों के साथ सीधा संपर्क
2. सौदेबाजी की शक्ति में बढ़ोत्तरी
3. समुचित क्रेडिट प्रावधान
4. भंडारण के उचित अवसर
5. बाजार की पूर्ण जानकारी
6. उत्तम परिवहन व्यवस्था
7. समुचित मानकीकरण और ग्रेडिंग व्यवस्था

उत्पाद के अंतिम खरीदारों के साथ सीधा संपर्क

इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के किसानों को विपणन के प्रति आस्था बढ़ सकती है। इस व्यवस्था के माध्यम से अंतिम खरीदारों से सीधे सम्पर्क स्थापित कर कठिनाईयों से निपटा जा सकता जाता हैं यह व्यवस्था किसानों और अंतिम खरीदारों के बीच बिचौलियों को हटा देता है और कृषक खरीदारों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बन जाता है। यह व्यवस्था शोषकों को समाप्त करता है और इस प्रकार दोनों पक्ष आपस में उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। इससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को फायदा होता है। बिहार में किसानों के आर्थिक विकास हेतु कृषि विपणन पर ध्यान देनी की आवश्यकता है।

सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि

यदि किसान एकजुट हों और एक सहकारी समिति बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़े तो वे अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ा सकते हैं और अपने उत्पादों के हेतु उचित मूल्यों का निर्धारण कर सकते है। इससे किसानों को होने वाले नुकसान समाप्त हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान एक ही एजेंसी के जरिए अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं। फलतः राज्य में सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि करने कि आवश्यकता है।

क्रेडिट प्रावधान

राज्य में सहकारी विपणन समितियाँ को गठित करने की आवश्यकता है। सहाकारी विपणन समितियाँ किसानों को आवश्यक ऋण प्रदान करती है। इससे किसानों में वित्त समस्या कम हो जाती है। यह किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करता है। साथ ही कृषकों को कटाई के तुरंत बाद अपने कृषि उत्पादों को बेचने हेतु मजबुर नहीं होना पर सकता है।

भंडारण हेतु अवसर

साधारणतया सहकारी विपणन व्यवस्था की अपनी सुविधाएं होती है जो किसानों हीतों की मार्ग प्रशस्त करती है। फलतः कृषक इन सुविधाओं के अंतर्गत अपनी फसल का भंडारण उचीत ढ़ग से कर सकते हैं और बेहतर कीमतों की प्रतीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, यह बारिश और चोरी के स्थिति में फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारी विपणन राज्य में भंडारण हेतु व्यवस्थित अवसर प्रदान कर बिहार के कृषकों हेतु लाभ की स्थिति मुहैया करा सकता है।

बाजार की पूर्ण जानकारी

किसी भी बाजार के भाव को सिस्टम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बिहार में बाजार की पूर्ण जानकारी सहकारी विपणन डेटा से राज्य के प्रत्येक भाग में प्राप्त कि जा सकती है। यह सिस्टम बाजार की मांग और आपूर्ति को समझने में मदद कर सकता है और किसान अपने फसलों के बिक्रय हेतु उचीत बाजार और समय हेतु प्रतिक्षा कर सकते है। इसके अतरिक्त बाजार का कोई भी संबंधित जानकारी नियमित आधार पर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, उत्पादक प्राप्त डेटा के आधार पर अपनी गतिविधियों की योजना बना सकता और अपने हेतु लाभ के द्वार खोल सकता है।

उत्तम परिवहन व्यवस्था

सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत बिहार में समुचित परिवहन व्यवस्था हो सकती है और परिवहन सुविधा सस्ते और आसान तरीके से उपलब्ध कि जा सकती है। इस प्रकार उत्पादों के उत्तम परिवहन के द्वारा लागत मूल्य को कम किया जा सकता है। व्यवस्थित परिवहन सुविधा प्राप्त करके बिहार क किसान अपने हेतु अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है।

समुचित मानकीकरण और ग्रेडिग

किसी भी व्यक्ति विशेष के बजाय एजेंसियों के द्वारा किसी उत्पाद का मानकीकरण करना आसान और युक्तिसंगत होता है। बिहार में सहकारी विपणन के द्वारा सुव्यवस्थित उत्पाद मानकीकरण किया जा सकता है। विपणन प्रणाली उत्पादों का व्यस्थित मानकीकरण करके कृषकों के कार्य को आसान बना देता है। इस हेतु वे सरकारी एजेंसियो की मदद ले सकते हैं। ये भीतर भी विकसित किये जा सकते हैं और अपनी व्यापारिक व्यवस्था अलग से बना सकते हैं। राज्य में कृषकों के हीत में सहकारी मानकीकरण का होना आवश्यक है।

कृषि विपणन के दोष

कृषि बाजार व्यवस्था के अंतर्गत किसान तथा उपभोक्ता के मध्य मध्यस्थों की भुमिका को नकारा नहीं जा सकता है। परन्तु वर्तमान बाजार व्यवस्था में मध्यस्थों की संख्या काफी ज्यादा है परिणामस्वरूप किसानों से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों के पहुँचने में उनकी कीमत में काफी वृद्धि देखी जाती है। बिहार में कृषि भूमि के मालिकाना हक से संबंधित विवाद काफी चर्चा में रहा है। साथ ही फसल पर मिलने वाली सही मुल्य किसानों के हीत में एक गंभीर समस्या है। फसल पर सही मूल्य न मिलने के अतरिक्त अच्छे बीजों का न मिलना, उचीत सिंचाई व्यवस्था का अभाव, मशीनीकरण की कमी, उचीत भंडारण सुविधा का अभाव परिवहन में बाधा, कृषि विपणन का सबसे महत्वपूर्ण दोष है, वह इसलिए की गाँवों से मण्डियों तक मध्यस्थ के रूप में आढ़तिया, दलाल, फुटकर व्यापारी का जाल फैला रहता है जो किसानों को अपने चालाकी का शिकार बनाते है।

मध्यस्थ

बिहार में कृषि – विपणन का सबसे मुख्य दोष मध्यस्थ है, क्योंकि गाँवों से लेकर मण्डियों तक मध्यस्थ के रूप में दलाल, आढ़तिया, फुटकर व्यापारी फैले रहते हैं, जो किसानों से मधुर संबंध और व्यवहार बनाके उन्हें अपनी चालाकी का शिकार बनाते हैं। अनुमानतः 50 प्रतिशत विक्रय मूल्य की राशि मध्यस्थों की हाथों में जाती है। जिससे बिहार के किसानों की स्थिति कमजोर बनी रहती है। कृषि विपणन व्यवस्था में कृषकों तथा उपभोक्तओं के बीच मध्यस्थ काफी जरूरी होते हैं।

पर्याप्त परिवहन सुविधा का अभाव

कृषि बिहार का सबसे बड़ा उद्योग है और परिवहन राज्य का एक अहम उद्योग है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और वाहन की समस्या आज भी व्याप्त है। कृषि विपणन कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री की एक प्रक्रिया है। एक ओर परिवहन व्यवस्था कृषि को सक्षम बनाता है तथा कृषकों को अधिक निवेश करने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। उचित परिवहन व्यवस्था के अभाव में बड़ी मात्रा में किसानों के उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राज्य में अभी भी सड़कमार्ग लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला परिवहन का सबसे बड़ा साधन है। सड़क परिवहन राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण के व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हलाँकी स्वर्ण चतुर्भज राज्य को देश के कई स्थानों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, परन्तु खेतो को जोड़ने वाला सड़क आज भी ग्रामीण क्षेत्रो में अव्यवस्थित है। इवाई परिवहन जो राज्य के अर्थव्यवस्था और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है, का कमी किसानों के प्रगति के मार्ग में बाधक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रेल परिवहन सेवा की अनुपलब्ध है, सड़क मार्ग का अभाव है। जल परिवहन भी शून्यता की स्थिति में है।

बिहार में रेलमार्ग

रेल परिवहन सुविधाए राज्य में आज भी अत्यधिक अपर्याप्त हैं। पक्की सड़कों से केवल कुछ ही गाँव मंडियों से जुड़े हैं। बैलगाड़ी तथा ठेला जैसे कम गति से चलने वाले परिवहन वाहनों पर उत्पादन को ले जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि परिवहन के ऐसे साधनों का उपयोग बहुत दूर उत्पाद ले जाने हेतु नहीं किया जा सकता है। फलतः किसनों को अपनी उपज को पास के बाजारों में डंप करना पड़ता है। बाजारों में प्राप्त कीमत काफी कम है।

भण्डारण सुविधा की कमी

बिहार में कृषि भंडारण सुविधा का अभाव है। राज्य में ऐसे भंडारण सुविधा जहाँ कृषक अपनी उपज को कुछ समय सुरक्षित रख सके का काफी अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की अपनी निजी भंडारण व्यवस्था है जो मिट्टी और बॉस के द्वारा बनाये जाते हैं, परन्तु ये भंडारण पात्र कीटाणुओं तथा सीलन से कृषि उत्पाद को सुरक्षित नहीं रखपाता है। अपनी फसल को बचाने हेतु किसानों को शीध्र अपने फसल को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राज्य में ग्रामीण किसानों के समक्ष उपजों को संग्रहित करने हेतु उचित एवं वैज्ञानिक संग्रहण सुविधा का पूर्ण कमी है।

वित्तीय सुविधाओं की कमी

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा का पूर्ण अभाव है, फलतः किसानों की आपातकालिन आश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में राज्य के किसान अपने फसल का सौदा तैयार होने से पहले ही कर लेता है। इसके अतिरिक्त अपने ऋण को चुकता करने हेतु भी किसानों को अपना फसल यथाशीध्र बेचना पड़ता है।

त्रुटिपूर्ण ऋण व्यवस्था

कृषको के लिए ऋण की सरल व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक हैं प्रायः देखा जाता है की ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक ऋण के लिए व्यापारी के पास ही जाते हैं जिससे इन किसानों को अपने कृषि उपज को उसी व्यापारी के पास बेचने को मजबूरी हो जाती है। जिससे किसान की विक्रय शक्ति में कमी आती है, और वे पूर्ण लाभ से वंचित हो जाते हैं।

सारांस

बिहार में कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था दोषपूर्ण है। अपनी उपज की बिक्री में किसानों अनेको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार में किसानों के पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए पक्के गोदामों का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण की उपलब्ध सुविधाएँ इतनी दयनीय हैं कि 10 से 20 प्रतिशत तक संग्रहित खाद्यान्न चूहों द्वारा बर्वाद कर दिया जाता है। औसत किसान इतना गरीब और ऋणग्रस्त कि उसमें सही कीमत मिलने तक प्रतीक्षा करने की क्षमता ही नहीं है। उसे ऋण–भार से मुक्ति पाने के लिए फसल तैयार होते ही अपनी अतिरिक्त उपज ग्रामीण साहूकार या व्यापारी के हाथों बेचनी पड़ती है। ऐसी विवशतापूर्ण बिक्री किसानों की स्थिति को और भी कमजोर बना देती है, क्योंकि व्यापारी द्वारा उसकी उपज बहुत नीचे मूल्यों पर खरीद लिया जाता है और किसान को विषेश लाभ हो नहीं पाता है। बिहार के सभी क्षेत्रों में यातायात की दशाएँ अत्यधिक दैनिय है। सभी साधनों से सम्पन्न धनी किसान भी मण्डियों में अपनी उपज ले जाना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं अधिकांश खेत तक सड़क कि पहुँच नहीं है। मण्डियों में सौदेबाजी का तरीका मूलतः किसानों के हितों के विरूद्ध होता है। मण्डी में अपनी उपज बेचने के लिए कृषक दलाल का सहारा लेता है। आढ़ती तथा दलाल गुप्त भाषा में सौदेबाजी करते हैं। चूँकि दलाल का आढ़ती के साथ नियमित सम्पर्क में रहता है और कृषक यदा–कदा अपनी उपज बेचने के लिए मण्डी पहुँचता है, इसलिए कीमत निश्चित करते समय दलाल सामन्यतः आढ़ती का ही पक्ष लेता है। इसके अतिरिक्त बाँटों और मापों के प्रयोग द्वारा उपज के बिक्री मूल्य में से विभिन्न प्रकार की कटौतियों द्वारा तथा दूसरे तरीकों से भी मण्डियों में किसानों को लूटा जाता है। जिससे किसानों की दशा सुदृढ़ नहीं हो पाती है। बिहार में कृषक तथा उसकी उपज के अन्तिम उपभोक्ता के बीच मध्यस्थों की संख्या बहुत अधिक होती है और इनका कृषि विपरण पर पकड़ होता है।

संदर्भ

1. राहुल, (2012), राष्ट्रीय जल नीति, आर्थिक एवं राजनितिक साप्ताहिक, vol (4). (8) पृष्ठ – 218
2. भल्ला, (2008), इंडियन एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 213–218
3. सिंह करतार (2010), ग्रामीण विकासः नीतियाँ और प्रबंधन, ऋषि बृक्स, संस्करण –III
4. रानिस (2007), कृषि विकास में योगदान : सोच और नीति, मैनचेस्टर स्कूल, वॉल्यूय –22(8)
5. गुलाटी, (2005), व्यापार उदारीकरण और भारतीय कृषि, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली
6. भारत सरकर (2008) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, दिल्ली
7. शाह. पी0 (2007), जल कल्याण, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 8(6). पृ. सं – 312–324
8. ब्रंडी. (2004), फसल विपणन के सिद्धान्त, प्रेंटिस हॉल, साउथ एंड प्रेस, कैम्ब्रिज, 114–126
9. लॉरेंस (2008), हिस्ट्री आफ वर्लड एग्रीकल्चर, नियोलिथिक काल से वर्तमान तक एनवाई प्रेस, न्यूयार्क –213–232
10. राय, क. (1964). भारतीय कृषि उपज विपणन, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 – 231–40
11. दामाहिया एवं कुमा (2004) कृषि विकास की समस्याऐं मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ0. 113–32
12. www.inpmandibord.govs.in.com
13. www.wikipedia.in>agri.com
14. जैन. सी. (2004), भारत में कृषि विकास हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृ0. 224–29